

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1- हमीरसिंह पुत्र श्री गजेसिंह 2- उदयसिंह पुत्र श्री गजेसिंह सभी जाति राजपूत आयु व्यस्क निवासी अणगोर तहसील व जिला सिरौही		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार
1- प्रार्थी की ओर से वकील श्री जितेन्द्रसिंह देवडा 2- अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरौही की ओर श्रीमती निधि कोठारी पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार) न्यायालय हाजा		

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकॉर्ड इन्द्राजात दुरुस्ती करने हेतु

आदेश

दिनांक 31-8-2020

प्रार्थीगण ने जरिये वकील ने यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरौही का वास्ते राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राजात दुरुस्ती करवाने का इस न्यायालय में दि 5-3-2020 को पेश किया जिसका प्रार्थनापत्र में संक्षेप में तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अन्य सहखातेदारों के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि मय कुंआ मौजा अणगोर पअवार हल्का खाम्बल तहसील सिरौही जिला सिरौही में जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के अनुसार खाता संख्या नया 12 पुराना 107 के खसरा नंबर 310, 311,313 ,314 ,316 ,642 ,643 कुल किता 7 कुल क्षेत्रफल 13.3300 हेक्टेयर आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी में राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी संवत 2014 से 2017 अनुसार खातेदार गजेसिंह ,सरदारसिंह ,जगसिंह ,किरतसिंह ,हरीसिंह पिसरान चमनसिंह के नाम का इन्द्राज है तथा राजसव रेकॉर्ड जमाबंदी संवत 2020 से 2023 में खातेदार गजेसिंह सरदारसिंह ,जगसिंह ,किरतसिंह ,हरीसिंह पिसरान चमनसिंह का इन्द्राज किया हुआ है जो लगातार वर्तमान जमाबंदी संवत 2071 से 2074 में भी खातेदार गजेसिंह के स्थान पर गजेन्द्रसिंह का इन्द्राज किया हुआ है जो राजस्व कर्मचारियों की भूल व लापरवाही से प्रार्थीगण के पिता का नाम उपरोक्त वर्णित आराजी में गजेसिंह के स्थान पर गलत नाम गजेन्द्रसिंह का इन्द्राज कर दिया है। उपरोक्त वर्णित आराजी पुष्टतैनी है। जिसमें आराजी में खातेदार प्रार्थीगण के पिता का नाम गजेसिंह के स्थान पर गजेन्द्रसिंह का इनदाज राजसव रेकॉर्ड में संवत 2020 से 2023 की जमाबंदी से लगातार राजस्व कर्मचारियों की भूल व त्रुटिवश दर्ज हुआ है। जबकि संवत 2020 से पूर्व राजस्व रेकॉर्ड में सही इन्द्राज किया हुआ है एवं प्रार्थीगण के दस्तावेज पहचानपत्र ,आधार कार्ड ,पेनकार्ड ,ड्राईविंग लाईसेन्स ,बैंक खाता ईत्यादि में प्रार्थीगण के पिता का नाम गजेसिंह दर्ज है। राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही व भूल से राजस्व रेकॉर्ड संवत 2020 के बाद प्रार्थीगण के पिता गजेसिंह के स्थान पर गजेन्द्रसिंह के नाम का गलत इन्द्राज कर देने से प्रार्थीगण को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उक्त त्रुटि को सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम मौजा अणगोर तहसील व जिला सिरौही में स्थित कृषि खाता संख्या नया 12 पुराना 107 के खसरा नंबर 310, 311,313 ,314 ,316 ,642 ,643 कुल किता 7 कुल क्षेत्रफल 13.3300 हेक्टेयर मय कुंआ के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम गलत इन्द्राज गजेन्द्रसिंह के स्थान पर गजेसिंह (पुराने राजस्व रेकॉर्ड मय दस्तावेज अनुसार) दर्ज करने हेतु अप्रार्थी को निर्देश दिलाना फरमावे।

प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फर्द दस्तावेज सूची में वर्णित अनुसार जमाबंदी संवत 2014 से 2017 ,संवत 2020 से 2023 ,संवत 2071 से 2074 ,आधार कार्ड प्रार्थी हमीरसिंह ,पेनकार्ड ,पहचानपत्र हमीरसिंह ,पेनकार्ड हमीरसिंह ड्राईविंग लाईसेन्स हमीरसिंह बैंक पास बुक श्री हमीरसिंह ,आधार कार्ड उदयसिंह पहचानकार्ड उदयसिंह की नकल का गहनतापूर्वक अवलोकन करने से प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टियों आश्वस्त होने से दिनांक 12-3-2020 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार सिरौही को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया । जिस पर इस न्यायालय में सुनवाई पेशी दिनांक 18-8-2020 अप्रार्थी को नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया । विचारण प्रकरण की इस न्यायालय में सुनवाई पेशी दिनांक 26-8-2020 को वकील प्रार्थी ने मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति पेश करने से शामिल मिसल किया गया ।

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय में दिनांक 31-8-2020 को वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट तह.सिरौही की ओर से पैरोकार सरकार (ना.तहसीलदार)न्यायालय हाजा द्वारा विचाराधीन प्रार्थनापत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट पर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनकर उस पर गहनतापूर्वक मनन किया । विचाराधीन प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय वर्णित राजस्व रेकॉर्ड की प्रतियों सहित गहनतापूर्वक अध्ययन व मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड के आधार पर विचारण प्रकरण के की वर्तमान वस्तुस्थिति के तथ्य इस प्रकार सामने आये है कि यह सही है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौजा अणगोर तहसील सिरौही जिला सिरौही की जमाबंदी संवत 2014 से 2017 तथा जमाबंदी संवत 2020 से 2023 तथा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार कृषि खाता संख्या नया 12 पुराना 107 के खसरा नंबर 310, 311,313 ,314 ,316 ,642 ,643 कुल किता 7 कुल क्षेत्रफल 13.3300 हेक्टेयर के अनुसार जमाबंदी में गजेसिंह सरदारसिंह जगसिंह ,किरतसिंह ,हरीसिंह, पिसरान चमनसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार अंकित है जो सही है। लेकिन मौजा अणगोर तहसील सिरौही जिला सिरौही की जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के खाता नंबर 12 में प्रार्थीगण के पिता का नाम गजेन्द्रसिंह गलत अंकित हुआ। प्रार्थीगण ने अपने पिता के सही नाम गजेसिंह होने के समर्थन में आधार कार्ड प्रार्थी हमीरसिंह ,पेनकार्ड ,पहचानपत्र हमीरसिंह ,पेनकार्ड हमीरसिंह ड्राईविंग लाईसेन्स हमीरसिंह बैंक पास बुक श्री हमीरसिंह ,आधार कार्ड उदयसिंह पहचानकार्ड उदयसिंह की दस्तावेजात प्रतियों भी पेश की है जो शामिल मिसल है। पैरोकार सरकार ने भी अपनी बहस में प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थनापत्र के संलग्न उक्त नई व पुरानी जमाबंदी व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजात प्रतियों के आधार पर प्रार्थनापत्र में अंकित किये जाने पर सहमति जाहिर की है। उपरोक्त राजस्व रेकॉर्ड में त्रुटि सेटलमेण्ट विभाग व राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से होना जाहिर होता है। तथा उक्त राजस्व रेकॉर्ड में त्रुटि लिपिकिय त्रुटि की परिभाषा में आने से त्रुटि में दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। अन्यथा प्रार्थी को मानसिक तनाव व आर्थिक नुकसान होने तथा मामला कानूनी उलझनों में पड़ने की संभावना है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत विरुद्ध अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरौही का बाबत राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सिरौही (भूमिधारी) को आदेश दिया जाता है कि मौजा अणगोर पटवार हल्का खाम्बल तहसील सिरौही



जिला सिरौही में स्थित कृषि आराजी खाता संख्या नया 12 पुराना 107 के खसरा नंबर 310, 311,313 ,314 ,316 ,642 ,643 कुल किता 657 कुल क्षेत्रफल 13.3300 हेक्टेयर मय कुआ (पुराने राजस्व रेकॉर्ड मय दस्तावेज अनुसार)प्रार्थीगण के पिता का गलत नाम इन्द्राज गजेन्द्रसिंह के स्थान पर गजेसिंह राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करें जमाबंदीअपडेट कर पालना शीघ्र इस न्यायालय को भिजवाने की व्यवस्था करें ।

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 31-8-2020 को सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(हंसमुख कुमार)
लैण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर (एसडीओ) सिरौही
उपखण्ड अफिसर (एसडीओ) सिरौही (राजस्थान)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 31-8-2020 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

लैण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर (एसडीओ) सिरौही
उपखण्ड अफिसर (एसडीओ) सिरौही (राजस्थान)

